(1)

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग
प्रेस नोट

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर (आई0एम0सी0) गयाजी परियोजना के लिए निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु 220 के0वी0 डी0सी0 संचरण लाईन (400/220/132 के0वी0 चंदौती (पी0एम0टी0एल0) ग्रीड–उपकेन्द्र से आई0एम0सी0, गयाजी तक) के निर्माण हेतु 33.29 करोड़ (तैतीस करोड़ उनतीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर (आई0एम0सी0) गयाजी परियोजना के लिए निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु 220 के0वी0 डी0सी0 संचरण लाईन (400/220/132 के0वी0 चंदौती(पी0एम0टी0एल0) ग्रीड–उपकेन्द्र से आई0एम0सी0, गयाजी तक) के निर्माण हेतु 33.29 करोड़ (तैतीस करोड़ उनतीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(मनोज कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

2

बिहार सरकार
कृषि विभाग

प्रेस नोट

बिहार राज्य के विभाजन के उपरान्त उत्तरवर्ती बिहार राज्य के लोगों की जीविका मुख्यतः कृषि पर निर्भर है।

बिहार राज्य के कृषि रोड मैप अन्तर्गत कृषि को लाभकारी बनाए जाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं को राज्य में संचालित किया जा रहा है। युक्तियुक्त रूप से कृषि योजनाओं का लाभ प्रत्येक कृषकों तक पहुँचाने तथा आम उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु कृषि विभागीय पौधा संरक्षण के विभिन्न कार्यालयों में कृषि संबंधी कार्यों के सुगनतापूर्वक संचालन को दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) (संशोधन) नियमावली, 2025 संवर्ग के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति की कार्रवाई की जानी है, ताकि सभी स्तर पर पूर्ण कार्यबल उपलब्ध हो सके, जिनके माध्यम से संचालित योजनाओं का शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सके एवं राज्य के समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। इस क्रम में राज्य में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) संवर्ग (अराजपत्रित) के रिक्त पदों को नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरने के उद्देश्य से कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या–694 दिनांक–02.09.2025 के द्वारा अधिसूचित "बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) (संशोधन) नियमावली, 2025" के आलोक में कृषि विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक के 534 पद एवं पौधा संरक्षण निरीक्षक के 160 पद यानि कुल 694 पदों के पुनर्गठन के क्रम में पदों का समर्पण/प्रत्यर्पण/सम्परिवर्तन/सृजन किया जा रहा है।

(पंकज कुमार),
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

(3)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिनांक 10 जुलाई, 2025 को राँची में सम्पन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी एवं माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार का पक्ष मजबूती से रखते हुए बिहार एवं झारखंड के बीच वर्षो से लंबित सोन नदी जल बंटवारा को सुलझाया गया।

वर्ष 1973 में बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच हुए बाणसागर समझौते के अनुसार अविभाजित बिहार को 7.75 मिलियन एकड़ फीट (MAF) जल आवंटित था। वर्ष 2000 में राज्य के बंटवारे के बाद झारखण्ड द्वारा दोनों राज्यों के बीच जल का बंटवारा किए जाने की माँग उठाई जाती रही एवं इस मुद्दे की वजह से बिहार की इन्द्रपुरी जलाशय परियोजना पर सहमति नहीं दी जा रही थी। बिहार द्वारा बंटवारे हेतु फार्मुला दिए गए परंतु मामले का समाधान नहीं हो पा रहा था।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में विमर्शोपरान्त दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी कि अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फीट (MAF) जल में से 5.75 MAF जल बिहार को एवं 2.00 MAF जल झारखण्ड को मिलेगा। तत्संबंधी बिहार एवं झारखंड के बीच सम्पन्न होने वाले एकरारनामा प्रारूप पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

इस निर्णय से वर्षों से लंबित इन्द्रपुरी जलाशय परियोजना के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा जिससे भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया, एवं अरवल जिले में सिंचाई सुविधा को स्थायित्व प्रदान किया जा सकेगा।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

4

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

विभागीय परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु वन एवं पर्यावरण संबंधी विषयों के समाधान के लिए भारतीय वन सेवा/बिहार वन सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी की सेवा संविदा के आधार पर प्राप्त करने निमित्त वन एवं पर्यावरण सलाहकार (वेतन स्तर–14/13) के 01 (एक) गैर संवर्गीय पद का आदेश निर्गत की तिथि से 03 (तीन) वर्षों के लिए अस्थायी रूप से सृजन करने की स्वीकृति के संबंध में।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

<u>प्रेस नोट</u>

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या 17975, दिनांक--22.09.2023 द्वारा अधिसूचित बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2023 प्रख्यापित होने के उपरान्तर्गत निर्धारित नये पद संरचना के अनुरूप डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग (मत्स्य निदेशालय) नियंत्रणाधीन कार्यालय परिचारी संवर्ग के पदों का कार्यालयवार पुनर्गठन औचित्यपूर्ण आवश्यक था। क्षेत्रीय कार्यालयों के सुचारू संचालन हेतु कार्यालय परिचारी संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों को सुव्यवस्थित कर स्वीकृत बल के अधीन रहते हुए जिला, परिक्षेत्र, मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, मत्स्य अनुसंधान केन्द्र तथा निदेशालय के कार्यालयों में संलग्न सूची के अनुसार पदों के कार्यालयवार चिन्हितीकरण की आवश्यकता को देखते हुए कार्यालय परिचारी संवर्ग के पदों का सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या 17975, दिनांक 22.09.2023 द्वारा अधिसूचित बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 के आधार पर डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालय परिचारी संवर्ग में स्वीकृत कुल 200 पदों का कार्यालयवार चिन्हितीकरण एवं पुनर्गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गई हैं।

18.12.2025
अपर मुख्य सचिव

(6)

—:: प्रेस नोट::—

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास तथा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने एवं राज्य में हवाई यातायात को सुगम तथा विस्तृत करने के उद्देश्य से वर्त्तमान में कार्यरत 45 विभागों के अतिरिक्त 03 (तीन) नये विभागों का गठन किया गया है। विभागों के गठन के उपरान्त मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा संशोधित अधिसूचना संख्या–1569, दिनांक–10.12.2025 निर्गत किया गया है। इसके द्वारा नवगठित विभाग ''युवा, रोजगार एवं कौशल विकास'' के कार्यों में से क्रमांक–08–''तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण (स्नातक स्तर से नीचे)'' एवं क्रमांक–10–'' पॉलिटेक्निक संस्थान'' को विलोपित कर शेष को पुनर्क्रमांकित करते हुए ''विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग'' के कार्यों की सूची को यथावत रखा जायेगा।

(अरविन्द कुमार वर्मा)
सरकार के विशेष सचिव

7

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

प्रेस नोट

रिट पेटीशन (सिविल) नं0–911/2022 अमनजोत सिंह चड्ढ़ा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–04.09.2025 को पारित न्यायादेश में वैसे प्रतिवादी जिनके द्वारा अबतक आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 (यथा संशोधित 2012) की धारा–6 के तहत नियमावली अधिसूचित नहीं की गयी है, उसे 04 (चार) माह के अंदर नियमावली को अधिसूचित करने का आदेश है। उक्त अधिनियम की धारा 6(4) के अनुसार अधिसूचित नियमावली को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश का अनुपालन हेतु बिहार राज्य में सिखों द्वारा आनन्द कारज तहत् सम्पन्न विवाह के निबंधन हेतु बिहार आनन्द कारज निबंधन नियमावली, 2025 का गठन किया गया। इस नियमावली के प्रवृत होने से सिखों द्वारा बिहार राज्य में आनन्द कारज के तहत् सम्पन्न विवाह का निबंधन होगा।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव

(8)

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेस नोट

परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 एवं बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के संगत प्रावधानों के आलोक में वाहन चालकों को चालक अनुज्ञप्ति (Driving License) एवं संवाहकों को संवाहक अनुज्ञप्ति (Conductor License) निर्गत किया जाता है।

वाहन चालकों हेतु निर्गत चालक अनुज्ञप्ति एवं संवाहकों हेतु निर्गत संवाहक अनुज्ञप्ति के आँकड़ों की समीक्षा के क्रम में पाया गया चालक अनुज्ञप्ति (Driving License) की तुलना में काफी कम संख्या में संवाहक अनुज्ञप्ति (Conductor License) निर्गत किये गये हैं तथा कारणों की समीक्षा में पाया गया कि चालक अनुज्ञप्ति हेतु आठवीं कक्षा में उत्तीर्ण होना प्रावधानित है, जबकि संवाहक अनुज्ञप्ति हेतु दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण होना प्रावधानित है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में संवाहक अनुज्ञप्ति (Conductor License) के निर्गमन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता "माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में उत्तीर्ण (दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण)" के स्थान पर "आठवीं कक्षा में उत्तीर्ण" होना प्रावधानित किया गया है।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

(9)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेस नोट

बिहार भवन, मुम्बई के निर्माण कार्य हेतु ₹314,20,59,000.00 (तीन सौ चौदह करोड़ बीस लाख उनसठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

(कुमार रवि)
सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका संख्या : 13/स्था० 05–03/2025

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस--नोट

जन शिक्षा निदेशालय के स्तर से संचालित योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं ससमय कार्य के निष्पादन के लिए पूर्व से सृजित पदों में से कतिपय मरणशील कुल–08 पदों को समर्पित (सरेंडर) करने एवं कतिपय पदों के पदनाम में संशोधन के साथ आवश्यक कुल–09 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

जन शिक्षा निदेशालय द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों के बेहतर प्रबंधन एवं ससमय कार्य के निष्पादन के लिए पूर्व से स्वीकृत कतिपय मरणशील पदों को समर्पित करते हुए निदेशालय की आवश्यकता के अनुसार कतिपय पदों के पदनाम में संशोधन के साथ नए पदों के सृजन से निदेशालय के लिए एकीकृत कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

(दिनेश कुमार)
सचिव, शिक्षा विभाग।

प्रेस नोट

अधिप्राप्ति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों के उपज को आपात बिक्री (Distress Sale) से बचाकर उन्हें ससमय न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाते हुए उनके आय में वृद्धि लाना है। राज्य में अधिप्राप्ति की व्यवस्था अन्तर्गत किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के तत्काल भुगतान हेतु सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में कैश–क्रेडिट ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

अधिप्राप्ति व्यवस्थान्तर्गत राज्य के सहकारी बैंकों में कैश–क्रेडिट ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खरीफ विपणन मौसम 2025–26 अन्तर्गत धान एवं रबी विपणन मौसम 2026–27 अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य वित्तीय संस्थानों से 7000 (सात हजार) करोड़ रुपये ऋण प्राप्त करने एवं एतदर्थ उक्त ऋण के अनुवर्ती उपयोगकर्ता जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को दिये गये ऋण, पुनः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों को दिए गए ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी।

(धर्मेन्द्र सिंह) 19/1/25
सरकार के सचिव,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना

D:\Rajkiye Garanty 7000 Cr 2025-26.doc

बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग

12

प्रेस नोट

दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माणार्थ चिन्हित 50.0004 एकड़ भूमि अधिग्रहण किये जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि ₹1,38,82,88,000/– (एक सौ अड़तीस करोड़ बेरासी लाख अठासी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब का निर्माण होने से मिथिला एवं उत्तर बिहार के कृषि एवं कृषि–आधारित उत्पादों के एयर कार्गो परिवहन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा आर्थिक विकास एवं समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त लॉजिस्टिक एवं कार्गो हब में एअरो सिटी जैसी वाणिज्यिक सुविधाओं के विकास से रोजगार के नये अवसर बनेंगे जिससे पूर्वी बिहार के समग्र विकास को गति मिलेगी।

(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
प्रभारी सचिव

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेस नोट।

उल्लेखनीय है कि विधि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–343, दिनांक– 08.06.2015 तथा स्वीकृत्यादेश सं0–66, दिनांक–21.01.2016 द्वारा क्रमशः माननीय उच्च न्यायालय, पटना के लिए कोर्ट मैनेजर के दो (02) पद तथा राज्य के 37 व्यवहार न्यायालयों के लिए कोर्ट मैनेजर के 37 पदों को स्थायी रूप से सृजित किया गया था, जिसका वेतनमान क्रमशः रू0 37,400–67,000/–ग्रेड पे–8700 (लेवल–13) तथा रू 27,700–770–33,090 (वर्तमान में 77,840–1,36,520) था।

W.P(C)-1022/1989 All India Judges Association & Ors. बनाम Union of India & Ors. में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक–16.05.2025 को पारित निर्णय के आलोक में महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अधिसूचित नियमावलियों में माननीय उच्च न्यायालय के लिए कोर्ट मैनेजर का वेतनमान लेवल–9 तथा राज्य के व्यवहार न्यायालयों के लिए कोर्ट मैनेजर का वेतनमान लेवल–8 नियत किया गया है।

अतः उक्त के परिपेक्ष्य में महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय, पटना से प्राप्त प्रस्ताव तथा अधिसूचित नियमावलियों के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के लिए कोर्ट मैनेजर के सृजित पदों का वेतनमान लेवल–13 से लेवल–9 में तथा राज्य के व्यवहार न्यायालयों के लिए कोर्ट मैनेजर के सृजित पदों का वेतनमान 27,700–770–33,090 (वर्तमान में 77,840–1,36,520) से लेवल–8 में सपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है।

(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
विधि विभाग

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

उल्लेखनीय है कि विधि विभागीय संकल्प सं0–6376/जे0, दिनांक–04.10.2025 द्वारा बिहार राज्य अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु समग्र नीति की स्वीकृति दी गई है।

उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुसार दिनांक–01.01.2024 को या उसके पश्चात् Enrolled सभी नये अधिवक्ताओं को 03 वर्ष तक निर्धारित शर्त्तों का अनुपालन करते हुए 5,000/–(पाँच हजार) रूपये प्रतिमाह के दर से Stipend के अलावा अधिवक्ता संघो को ई–लाईब्रेरी स्थापित करने हेतु 5,00,000/–(पाँच लाख) रूपये की एकमुश्त सहायता बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के माध्यम से दी जायेगी।इन कार्यो को किये जाने के लिए उक्त संकल्प की कंडिका–3 द्वारा बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता हेतु एकमुश्त 30,00,00,000/–(तीस करोड़) रूपये की राशि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इसके फलस्वरूप बिहार राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ आवश्यक कार्य किये जाने हेतु बिहार राज्य अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता राशि दी जा सकेगी।

19.12.25

(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
विधि विभाग

15

प्रेस नोट।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा Revised Scheme for Engagement of Law Assistant in the High Court Judicature at Patna, 2021 के आलोक में माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय J.A.D.-I, माननीय J.A.D.-II के साथ संबद्ध किये जाने वाले विधि सहायकों की संख्या में वृद्धि के कारण विधि सहायक के 04 (चार) अतिरिक्त पदों के सृजन एवं पूर्व में सृजित विधि लिपिक का पदनाम 'विधि सहायक' करने का करने का निर्णय लिया गया है।

इसके फलस्वरूप उच्च न्यायालय, पटना के न्यायिक कार्यों का सुचारू रूप से संचालन हो सकेगा तथा आम जन को त्वरित न्याय का मार्ग प्रशस्त होगा।

(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

16

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

"प्रेस नोट"

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय पोलिटेकनिक (टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी), भागलपुर में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक सत्र 2022–23 से डिप्लोमा स्तरीय चार पाठ्यक्रम यथा कम्प्यूटर एडेड कस्ट्यूम डिजाइन एण्ड ड्रेस मेकिंग (60 सीट), फैशन एण्ड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी (60 सीट), गारमेंट टेक्नोलॉजी (60 सीट) एवं टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी (60 सीट) को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उपरोक्त के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का स्वीकृत्यादेश संख्या–483 दिनांक–03.02.2023 में राजकीय पोलिटेकनिक (टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी), भागलपुर में **"कम्प्यूटर एडेड कस्ट्यूम डिजाइन एण्ड ड्रेस मेकिंग** पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याता के पदनाम" के स्थान पर टंकण भूलवश् **"कस्ट्यूम डिजाइन एण्ड ड्रेस मेकिंग टेक्नोलॉजी** पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याता के पदनाम" से सृजित हो गया है, जिसे संशोधित किया जाना समुचित है।

अतएव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या–483 दिनांक–03.02.2023 में विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याता का स्वीकृत पदनाम अन्तर्गत **"कस्ट्यूम डिजाइन एण्ड ड्रेस मेकिंग टेक्नोलॉजी"** के स्थान पर **"कम्प्यूटर एडेड कस्ट्यूम डिजाइन एण्ड ड्रेस मेकिंग"** किये जाने हेतु उक्त निर्गत स्वीकृत्यादेश में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(डॉ० प्रतिमा)
सचिव।

17

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
"प्रेस नोट"

राज्य में तकनीकी शिक्षा की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने, डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या में अभिवृद्धि करने एवं तकनीकी शिक्षा को जन–जन को सुलभ कराने के उद्देश्य से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–3479 दिनांक–30.06.2025 द्वारा पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिलान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, बगहा (पश्चिम चम्पारण) की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

नवस्वीकृत राजकीय पोलिटेकनिक, बगहा (पश्चिम चम्पारण) में सत्र–2026–2027 से प्रतिवर्ष छात्र–छात्राओं की प्रवेश क्षमता प्रति संकाय–60 के आधार पर त्रिवर्षीय डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम यथा असैनिक अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यांत्रिक अभियंत्रण एवं कम्प्यूटर साईंस एण्ड **इंजीनियरिंग में पठन–पाठन प्रारंभ किया जायेगा। उक्त पाठ्यक्रम के साथ–साथ** गणित, भौतिकी, रसायन एवं अंग्रेजी विषयों में भी पठन–पाठन की जायेगी।

उपरोक्त संस्थान में त्रि–वर्षीय डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष छात्र–छात्राओं की प्रवेश क्षमता के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मापदण्ड (अधिकतम छात्र : शिक्षक=25 : 1) के अनुसार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अधीन कुल–45 (पैंतालीस) शैक्षणिक पद (प्राचार्य–01, विभागाध्यक्ष–05 एवं व्याख्याता–39) तथा कुल–61 (इकसठ) गैर शैक्षणिक पद (तकनीकी–40 एवं गैर तकनीकी–21) अर्थात् कुल–106 (एक सौ छः) पदों के सृजन किया जाना है।

अतएव विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन नवस्वीकृत राजकीय पोलिटेकनिक, बगहा (पश्चिम चम्पारण) के लिए कुल–45 (पैंतालीस) शैक्षणिक पद (प्राचार्य–01, विभागाध्यक्ष–05 एवं व्याख्याता–39) तथा कुल–61 (इकसठ) गैर शैक्षणिक पद (तकनीकी–40 एवं गैर तकनीकी–21) अर्थात् कुल–106 (एक सौ छः) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

(डॉ० प्रतिमा)
सचिव।

(18)

बिहार सरकार
गृह विभाग (कारा)।

<u>प्रेस नोट</u>

राज्य की 53 काराओं में नये सिरे से 9,073 अदद् सी०सी०टी०वी० कैमरा के अधिष्ठापन हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा, सॉफ्टवेयर, फील्ड आधारभूत संरचना, फाइबर नेटवर्क, कारा स्तर पर अनुश्रवण प्रणाली पर व्यय, मानव बल, कन्सलटेंसी व्यय एवं आकस्मिक व्यय (CCTV Cameras, Software, Field Infrastructure, Fiber Network, Local Monitoring Cost at Jail end, Manpower Cost, Consultancy Cost, Contigency) एवं 08 काराओं में पूर्व से अधिष्ठापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों के एकीकरण (Integration) संबंधी कार्य के लिए बेल्ट्रॉन मार्जिन सहित कुल राशि रू0 155,38,36,153/– (एक सौ पचपन करोड़ अड़तीस लाख छत्तीस हजार एक सौ तिरपन रूपये) मात्र की अनुमानित लागत पर बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना के माध्यम से कराये जाने संबंधी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(प्रणव कुमार)
सचिव, गृह विभाग।

—:: प्रेस नोट::—

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

विकास की गति को और तेज करने तथा अगले 5 वर्षों में बिहार को देश के ऊपर के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या--1587 दिनांक--16.12.2025 द्वारा सात निश्चय--3 (2025–2030) के अन्तर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया है। सात निश्चय–3 के तहत सम्मिलित योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व बिहार विकास मिशन को दिये जाने से इनका क्रियान्वयन बेहतर होगा।

उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा लक्षित सात निश्चय–3 (2025–2030) तथा अन्य कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व बिहार विकास मिशन को सौंपा जायेगा।

12/01/26

(अरविन्द कुमार वर्मा)
सरकार के विशेष सचिव

(20)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेस नोट

राजवंशीनगर एवं शास्त्रीनगर, पटना को आवासीय एवं गैर–आवासीय रूप में पुनर्विकास हेतु मास्टर प्लान निर्माण हेतु चयनित परामर्शी के शुल्क ₹1,59,30,000/– (एक करोड़ उनसठ लाख तीस हजार रूपये मात्र, जी०एस०टी० सहित) भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

20/12/25
(राजेश कुमार सिंह)
अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

21

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेस नोट

भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की शून्य ग्राह्यता की नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु श्री जटाशंकर पाण्डेय (अ0क0से0) कोटि क्रमांक–156 / 2013 तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान बर्खास्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जमुई की सेवा पुनरीक्षण आवेदन संख्या–01 / 2025 दिनांक–24.07.2025 द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को खारिज करते हुए सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का अधिरोपित दण्ड को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

(मो० सोहैल)
सरकार के सचिव
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना।

22

67/78

बिहार सरकार
उद्योग विभाग।

संचिका संख्या– SIPB2305000486

प्रेस नोट

मेसर्स प्रिंस पाईप्स एण्ड फीटिंग्स लि०, बेगूसराय को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में 46000 MTPA क्षमता का Pipes & Fittings निर्माण इकाई की स्थापना हेतु कुल ₹19944.74 लाख (एक सौ निन्यानबे करोड़ चौवालिस लाख चौहत्तर हजार रूपये)मात्र के निजी पूँजी निवेश की स्वीकृति दी गयी। इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूँजी निवेश के साथ–साथ कुल 225 कुशल एवं अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा।

(कुन्दन कुमार)
सचिव

बिहार सरकार
उद्योग विभाग।

संचिका संख्या– **SIPB2406000347**

प्रेस नोट

मेसर्स लॉजीपार्क पटना प्राईवेट लिमिटेड, वैशाली में 5,59,372.78 वर्गफीट क्षमता का लाजिस्टिक पार्क/वेयरहाउसिंग इकाई की स्थापना हेतु कुल 10004.00 लाख (सौ करोड़ चार लाख रूपये) मात्र के निजी पूँजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गयी। इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूँजी निवेश के साथ–साथ कुल 500 कुशल एवं अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा।

(कुन्दन कुमार)
सचिव

24

32/70

बिहार सरकार
उद्योग विभाग।

संचिका संख्या– SIPB2312000662

प्रेस नोट

मेसर्स रोहतास सीमेंट (ए यूनिट ऑफ डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड), बंजारी, रोहतास को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में 1 Million TPD से अतिरिक्त विस्तार कर 0.5 Million TPD (अर्थात कुल 1.5 Million TPD) क्षमता का सीमेंट निर्माण इकाई की स्थापना हेतु कुल ₹10732.00 लाख (एक सौ सात करोड़ बत्तीस लाख रूपये) मात्र के निजी पूँजी निवेश की स्वीकृति दी गयी। इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूँजी निवेश के साथ–साथ कुल 594 कुशल एवं अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा।

(कुन्दन कुमार)
सचिव

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि ₹107,27,89,000/– (एक सौ सात करोड़ सताईस लाख नबासी हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गयी।

(संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी),
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

E:\SECTION-2\(2025-26) Rangprakash\ASO\sanlekh\Cabinet Sanlekh\New Sanlekh.doc

विभाग का नाम– श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार पटना

प्रेस नोट

=======

"बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी 'ए' (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" नियमावली में संशोधन के पश्चात् स्वास्थ्य विभाग के समरूप कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार अन्तर्गत परिचारिका श्रेणी 'ए' संवर्ग में नियुक्ति, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार कर किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप कर्मचारी राज्य बीमा योजना अन्तर्गत परिचारिका श्रेणी 'ए' की नियुक्ति की जा सकेगी, जिससे बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा सुगमतापूर्वक उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(दीपक आनंद)
सचिव

विभाग का नाम— श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार पटना।

प्रेस नोट

=======

"बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" नियमावली में संशोधन के पश्चात् स्वास्थ्य विभाग के समरूप कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार अन्तर्गत फर्मासिस्ट संवर्ग में नियुक्ति, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार कर किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप कर्मचारी राज्य बीमा योजना अन्तर्गत फर्मासिस्ट की नियुक्ति की जा सकेगी, जिससे बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा सुगमतापूर्वक उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(दीपक आनंद)
सचिव

विभाग का नाम– श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार पटना।

प्रेस नोट

=======

"बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" नियमावली में संशोधन के पश्चात् स्वास्थ्य विभाग के समरूप कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार अन्तर्गत परिधापक संवर्ग में नियुक्ति, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार कर किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप कर्मचारी राज्य बीमा योजना अन्तर्गत परिधापक की नियुक्ति की जा सकेगी, जिससे बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा सुगमतापूर्वक उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(दीपक आनन्द)
सचिव

विभाग का नाम— श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार पटना।

प्रेस नोट

=======

"बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" नियमावली में संशोधन के पश्चात् स्वास्थ्य विभाग के समरूप कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग में नियुक्ति, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार कर किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप कर्मचारी राज्य बीमा योजना अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) की नियुक्ति की जा सकेगी, जिससे बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा सुगमतापूर्वक उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(दीपक आनन्द)
सचिव

विभाग का नाम– श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार पटना।

प्रेस नोट

=======

"बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" नियमावली में संशोधन के पश्चात् स्वास्थ्य विभाग के समरूप कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार अन्तर्गत प्रयोगशाला शिल्पिक संवर्ग में नियुक्ति, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार कर किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप कर्मचारी राज्य बीमा योजना अन्तर्गत प्रयोगशाला शिल्पिक की नियुक्ति की जा सकेगी, जिससे बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा सुगमतापूर्वक उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(दीपक आनन्द)
सचिव

31

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

आर०डी०एस०एस० योजना अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन पटना शहर (पेसू) के कुल 13 प्रमण्डलों के विरूद्ध 09 प्रमंडलों में भूनिगत केबलिंग एवं स्काडा–डी०एम०एस० के कार्यों हेतु आर०ई०सी० लि० द्वारा अनुसंशित 576.74 करोड़ (पाँच सौ छिहत्तर करोड़ चौहत्तर लाख) रूपये में 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 346.04 करोड़ (तीन सौ छियालीस करोड़ चार लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 230.70 करोड़ (दो सौ तीस करोड़ सत्तर लाख) रुपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने एवं इसके अतिरिक्त पेसू के शेष 04 प्रमंडलों यथा– दानापुर, खगौल, गुलजारबाग एवं कंकड़बाग–2 में भी स्काडा–डी०एम०एस० के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त 76.26 करोड़ (छिहत्तर करोड़ छब्बीस लाख) रूपये राज्य योजना से स्वीकृति अर्थात कुल 653.00 करोड़ (छः सौ तिरेपन करोड़)रूपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में आर०डी०एस०एस० योजना अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन पटना शहर (पेसू) के कुल 13 प्रमण्डलों के विरूद्ध 09 प्रमंडलों में भूमिगत केबलिंग एवं स्काडा–डी०एम०एस० के कार्यों हेतु आर०ई०सी० लि० द्वारा अनुसंशित 576.74 करोड़ (पाँच सौ छिहत्तर करोड़ चौहत्तर लाख) रूपये में 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 346.04 करोड़ (तीन सौ छियालीस करोड़ चार लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 230.70 करोड़ (दो सौ तीस करोड़ सत्तर लाख) रुपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने एवं इसके अतिरिक्त पेसू के शेष 04 प्रमंडलों यथा–

दानापुर, खगौल, गुलजारबाग एवं कंकड़बाग–2 में भी स्काडा–डी०एम०एस० के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त 76.26 करोड़ (छिहत्तर करोड़ छब्बीस लाख) रूपये राज्य योजना से स्वीकृति अर्थात कुल 653.00 करोड़ (छः सौ तिरेपन करोड़) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(मनोज कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

(42)

(32)

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संचिका संख्याः– 11/यो0–10/2025

प्रेस नोट

केन्द्र प्रायोजित पी०एम० श्री योजना के तहत राज्य के लिए चयनित कुल 789 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए उपबंधित राशि कुल ₹14,85,85,00,000/–(चौदह अरब पचासी करोड़ पचासी लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

2. केन्द्र प्रायोजित पी०एम० श्री योजना अर्न्तगत इसका उद्देश्य बिहार के लिए चयनित कुल 789 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP-2020) के अनुरूप विकसित करना, कक्षा 06वीं–12वीं के विद्यार्थियों में आधुनिक शिक्षण, कौशल, नवाचार, तकनीकी साक्षरता को बढ़ावा देना है।

3. इस योजना के तहत उक्त विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी की स्थापना की जायेगी, जिसके तहत् विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं कौशल आधारित शिक्षा प्रदान किया जायेगा। साथ हीं उक्त विद्यालयों के शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान कर बेहतर शिक्षण–प्रणाली विकसित कर सकेंगे।

(दिनेश कुमार)
सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेस नोट

बिहार विधानमंडल के वरिष्ठ माननीय सदस्यगण (जो मंत्रिपरिषद् के सदस्य नहीं है) को विधानमंडल पूल में निर्वाचन क्षेत्रवार कर्णांकित आवास के अलावा पटना केन्द्रीय पूल से कुल–15 आवासों को मानक किराया पर अतिरिक्त आवास के रूप में सशर्त्त आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(कुमार रवि)
सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
प्रेस नोट

राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, बिहार विधान परिषद् के माननीय सभापति/उप सभापति एवं विधान सभा के माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को भवन निर्माण विभाग द्वारा पटना केन्द्रीय पूल से आवंटित आवास के अलावा विधानमंडल पूल में निर्वाचन क्षेत्रवार कर्णांकित आवास को अतिरिक्त आवास के रूप में सशर्त्त आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

9/1/26

(कुमार रवि)
सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

35

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेस नोट

श्री अनिल कुमार, मुख्य वास्तुविद् (संविदा), भवन निर्माण विभाग, पटना के दिनांक–01.01.2026 को संविदा समाप्ति के उपरान्त संविदा के आधार पर मुख्य वास्तुविद् के पद पर अगले 02 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

श्री अनिल कुमार का मुख्य वास्तुविद के रिक्त पद पर संविदा पर नियोजन के फलस्वरूप भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत क्रियान्वित विभिन्न परियोजनाओं विशेषकर मेगा परियोजनाओं का सम्यक कार्यान्वयन एवं उससे संबंधित विविध कार्यो का समयबद्ध निष्पादन किया जा सकेगा।

(कुमार रवि)
सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

36

पथ निर्माण विभाग

प्रेस नोट

पथ प्रमंडल सुपौल अंतर्गत मझारी चौक (एन०एच०–27) से कनौली बाजार (नेपाल बॉर्डर) भाया डगमरा पथ के चैनेज 0+000 से 25+353 (कुल लंबाई–25.353 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹12623.994 लाख (रुपये एक सौ छब्बीस करोड़ तेइस लाख निन्यानवें हजार चार सौ) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

विषयांकित एम.डी.आर. पथ की कुल लंबाई 25.353 कि०मी० है। इसका वर्त्तमान कैरेज वे 3.75मी०/5.5मी० को बढ़ाकर 7.00मी० किया जाना प्रस्तावित है।

इस योजना के पूर्ण हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन प्राप्त होगा।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

37

पथ निर्माण विभाग

प्रेस नोट

पथ प्रमंडल सुपौल अंतर्गत थरबिटीया रेलवे स्टेशन से गणपतगंज भाया सिंगआवन, श्रीपुर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹6144.40 लाख (रुपये एकसठ करोड़ चौवालिस लाख चालीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

विषयांकित योजना की कुल लंबाई 19.253 कि०मी० है। इसका वर्त्तमान कैरेज वे 3.75 मी० को बढ़ाकर 5.50 मी० किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित पथ में 3 अद्द 1/22/0, 01 अद्द 3/33/0 आकार का बॉक्स कल्भर्ट तथा 4×5.0×3.0 मी० एवं 3×5.0×3.0 मी० आकार का माईनर ब्रीज के साथ हीं 01 अद्द 3×18.0 मी० आकार का उच्चस्तरीय आर.सी.सी. पुल का भी प्रावधान है।

इस योजना के पूर्ण हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन प्राप्त होगा।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

पटना रिंग रोड़ निर्माण अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–131G के कन्हौली–शेरपुर (0.00 कि०मी० से 8.48 कि०मी०) पथांश के बीच 6–लेन पथ निर्माण के साथ बिहटा–दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के जंक्शन डेवलपमेंट (कुल अनुमानित लम्बाई–1.5 कि०मी०) कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मार्गरेखन पर अवस्थित 11 राजस्व ग्रामों में प्रभावित रैयती भूमि का कुल अर्जनाधीन रकवा – 185.2634874 एकड़ भूमि का भू–अर्जन हेतु कुल अनुमानित व्यय राशि ₹28400.00 लाख (दो सौ चौरासी करोड़) मात्र की 50 प्रतिशत राज्यांश राशि के रूप में ₹14200.00 लाख (एक सौ बयालीस करोड़) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रस्तावित पटना रिंग रोड का निर्माण कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित भारतमाला परियोजना के तहत् किया जा रहा है।

विषयांकित परियोजना निर्माणोपरांत पटना शहर से गुजरने वाले भारी वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों को शहर में प्रवेश के बिना ही प्रस्तावित पटना रिंग रोड से होकर अपने गन्तव्य की ओर प्रस्थान करेगी। फलस्वरूप जाम की समस्याओं से आमजनों को निजात मिलेगी साथ ही पटना शहर के अतिरिक्त रिंग रोड के नजदीक ग्रामों/शहरों का विकास तेजी से होने की संभावना होगी। विषयांकित परियोजना निर्माण जनहित में जनउपयोगी होने के साथ यातायात का आवागमन निर्वाध एवं सुरक्षित सम्पन्न होगी।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

39

बिहार सरकार
<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत कुल 07 बालूघाट यथा पटना गंगा–2A, पटना गंगा–2B, पटना गंगा–2C, पटना गंगा–2D, पटना गंगा–2E, पटना गंगा–3A, तथा पटना गंगा–3B एवं वैशाली जिलान्तर्गत 02 बालूघाट यथा वैशाली गंगा–6E एवं वैशाली गंगा–6F का आवंटन कतिपय शर्तों एवं बंधेजों के अधीन बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृति से जे0पी0गंगा पथ समग्र उद्यान परियोजना (फेज–1) के निर्माण, भद्रघाट से दीदारगंज पथ के 4–लेन चौड़ीकरण/निर्माण तथा दीदारगंज–फतुहा–बख्तियारपुर–करजान (अथमलगोला) पथ के 4–लेन चौड़ीकरण परियोजनाओं को लोकहित में ससमय पूरा किया जा सकेगा।

(दिवेश सेहरा)
सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

।। प्रेस नोट।।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–1569, दिनांक 10.12.2025 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद–166 के खण्ड–(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथासंशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक–45 के बाद नया क्रमांक–46 में "युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग" को जोड़कर नया "युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग" का गठन किया गया है।

नवसृजित युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सचिवालय को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न कोटि के कुल 147 (एक सौ सैंतालीस) पद सृजित किया जा रहा हैं, जिससे प्रशासी विभाग अंतर्गत रोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु अधिनियम/नियमावली सृजन, ई–पोर्टल का संचालन, रोजगार मेला का आयोजन, सभी प्रकार के निजी कंपनियों, उद्योगो, प्रतिष्ठानों एवं एम0एस0एम0ई0 ईकाइयों के साथ रोजगार हेतु संपर्क तथा विशेष नियोजन निदेशालय एवं अन्य सभी विषयों को प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित करने के लिए विभाग के स्थापना, बजट, लेखा एवं क्रय, योजना, अंकेक्षण, निगरानी, निरीक्षण आदि विषयों का त्वरित निष्पादन किया जायेगा।

(कौशल किशोर)
सरकार के सचिव

प्रेस नोट

चनपटिया स्टार्ट अप जोन परिसर के टेक्सटाईल/वस्त्र उद्योग से जुड़ी इकाईयों को विशेष परिस्थिति मानते हुए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उद्योग विभाग के निर्गत संकल्प ज्ञापांक–161 दिनांक–10.01.2025 की कंडिका–4 (ii) में संशोधन किया गया है जिसके अन्तर्गत चनपटिया स्टार्ट–अप जोन परिसर के 58 इकाईयों के लिए विशेष परिस्थिति में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 (यथा संशोधित) की कंडिका – 2.4(छ) के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु न्यूनतम निवेश रू0 25.00 लाख की शर्त को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है तथा बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (BICICO) के माध्यम से रियायती दर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तीन वर्षो के लिए अल्पावधि ऋण (Short Term Loan) उपलब्ध करायी जायेगी।

(कुन्दन कुमार)
सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना